



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03032021-225610
CG-DL-E-03032021-225610

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 938]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 3, 2021/फाल्गुन 12, 1942

No. 938]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 3, 2021/PHALGUNA 12, 1942

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 मार्च, 2021

का.आ. 1017(अ)—समय-समय पर यथा-संशोधित विदेश व्यापार नीति, 2015-20 के पैराग्राफ 1.02 और 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 का 22) की धारा 3 के साथ पठित धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार ने एतद्वारा आईटीसी (एचएस), 2017, अनुसूची-1 (आयात नीति) के अध्याय 7 के अंतर्गत उड़द [बीन्स ऑफ द एसपीपी विगना मुंगो (एल.) हेपर] एचएस कोड 0713 31 10, 0713 90 10 और 0713 90 90, जिसके लिए आयात नीति प्रतिबंधित है, के तहत वर्ष 2021-22 में आयात के लिए 4 लाख मीट्रिक टन का कोटा, 31 मार्च, 2022 तक की अवधि के लिए, अधिसूचित किया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा अलग से अधिसूचित किए जाने की प्रक्रिया के अनुसार आयात प्रतिबंध के तहत उड़द के आयात की अनुमति केवल मिल मालिकों/रिफाइनरों को दी जाएगी और इसका वितरण बराबर अथवा आवेदन की गई मात्रा, जो भी कम हो, के लिए किया जाएगा।

2. अधिसूचना का प्रभाव : वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए आयात किए जाने वाले उड़द के 4 लाख टन के कोटा को अधिसूचित कर दिया गया है।

[फा.सं.14/1/2021-ईपी (एग्री-III)]

दिवाकर नाथ मिश्रा, संयुक्त सचिव

नोट : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र असाधारण में दिनांक 17 जनवरी, 2017 के का.आ. संख्या 172(अ) के तहत दिनांक 17 जनवरी, 2017 की अधिसूचना संख्या 36/2015-20 के तहत जारी की गई थी और उसमें पिछला संशोधन दिनांक 1 अक्टूबर, 2020 को भारत के राजपत्र, असाधारण के का.आ. संख्या 3446(अ) के तहत किया गया था।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd March, 2021

S.O. 1017(E).—In exercise of powers conferred by section 3 read with section 5 of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 (22 of 1992), read with paragraphs 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy, 2015-2020, as amended from time to time, the Central Government hereby notifies quota of 4 Lakh MT for import of Urad [Beans of the SPP Vigna Mungo (L.) Hepper] under HS Codes 0713 31 10, 0713 90 10 and 0713 90 90 of Chapter 7 of ITC (HS), 2017, Schedule – I (Import Policy), for the period up to 31st March, 2022, for the year 2021-22, the import policy of which is 'Restricted'. Import of Urad under the import restriction will be allowed only to the Millers/Refiners and will be distributed equally or for the quantity applied, whichever is lower, as per procedure to be notified separately by Directorate General of Foreign Trade.

2. **Effect of the Notification:** Annual Quota of 4 Lakh MT of Urad, to be imported for fiscal year 2021-22, is notified.

[F. No. 14/1/2021-EP (Agri-III)]

DIWAKAR NATH MISRA, Jt. Secy.

Note: The principal notification No. 36/2015-2020, dated the 17th January, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary *vide* S.O. 172(E), dated the 17th January, 2017 and last amended *vide* notification published in the Gazette of India, Extraordinary *vide* S.O. 3446 (E), dated the 1st October, 2020.